कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला खरगोन, म.प्र.

कार्यालय कलेक्टर, जिला खरगोन म0प्र0

प्र0क्र0/11/अ-74/20-21

क्रमांक/ 894 /वाचक-2/2020, खरगोन, दिनांक 11 /06/2020

:: आ दे श ::

अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल खरगोन द्वारा पत्र क्रमांक 492/ कार्य-2/241/19, दिनांक 03.04.19 से अवगत कराया गया है कि विकासखण्ड भीकनगांव अंतर्गत जल संसाधन विभाग की स्वीकृत रोशिया तालाब के निर्माण से प्रभावित वन भूमि के बदले 30.000 हैक्टेयर राजस्व भूमि आदेश क0 855/वाचक-2/18, दिनांक 16.05.18 से वन विभाग को हस्तांतरित की गई थी। हस्तांतरित भूमि उबड़-खाबड़, अत्यधिक ढलान वाली, चट्टानी और मुरमी होने से हस्तांतरित भूमि वन विभाग द्वारा अमान्य की गई होने से अन्यत्र राजस्व भूमि आवंटित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

तहसीलदार, भीकनगांव द्वारा विधिवत प्र0क्र0 573/अ-121/19-20 संस्थित कर आरबीसी खण्ड 4(1) के अंतर्गत आवश्यक पूर्णता उपरान्त आदेशिका दिनांक 20.12.19 एवं 23.05.20 से प्रतिवेदित किया गया कि विकासखण्ड भीकनगांव जल संसाधन विभाग अंतर्गत स्वीकृत रोशिया तालाब से प्रभावित वन भूमि के बदले वनीकरण योग्य राजस्व भूमि चयन दिनांक 19.07.19 को वन विभाग, जल संसाधन विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण कर तहसील भीकनगांव के ग्राम जैसिंगपुरा, प0ह0नं-49, सर्वे नंबर 12/2 रकबा 11.816 हे0, सर्वे नंबर 16 रकबा 15.722 हे0, सर्वे नंबर 18 रकबा 1.378, सर्वे नंबर 20 रकबा 12.299 हे0, सर्वे नंबर 37/1 रकबा 19.321 हे0 भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाई होने से उक्त अनुसार **कुल 05 सर्वे नंबरों का कुल रकबा 60.536 हे0 में से पैकि रकबा 39.715 हेक्टेयर नि0च0** मद की शासकीय भूमि वन विभाग को हस्तांतरण की अनुशंसा सह प्रकरण प्रस्ताव प्रतिवेदन अ0वि0अ0 (राजस्व) भीकनगांव के माध्यम से प्रेषित किया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) भीकनगांव द्वारा राजस्व प्र0क्र0 84/ ब-121/19-20 में आदेशिका दिनांक 26.05.20 से तहसीलदार भीकनगांव के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रश्नाधीन प्रयोजनार्थ प्रस्तावित भूमि पैकि रकबा 39.715 हे0 (मद नि0च) की भूमि वन विभाग को हस्तातंरित किए जाने हेतु प्रकरण प्रस्ताव अनुशंसा सह अग्रेषित किया गया है।

अतः तहसीलदार भीकनगांव के प्रकरण प्रस्ताव प्रतिवेदन तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भीकनगांव के अभिमत/अनुशंसा तथा प्रकरण के संलग्न राजस्व अभिलेखों के आधार पर विकासखण्ड भीकनगांव जल संसाधन विभाग अंतर्गत स्वीकृत सिंचाई परियोजना रोशिया तालाब से प्रभावित वन भूमि के बदले तहसील भीकनगांव के ग्राम जैसिंगपुरा, प0ह0नं-49, सर्वे नंबर 12/2 रकबा 11.816 हे0, सर्वे नंबर 16 रकबा 15.722 हे0, सर्वे नंबर 18 रकबा 1.378, सर्वे नंबर 20 रकबा 12.299 हे0, सर्वे नंबर 37/1 रकबा 19.321 हे0 **कुल 05 सर्वे नंबरों का कुल रकबा 60.536 हे0 (मद-नि0च) में से पैकि रकबा 39.715 हेक्टेयर राजस्व भूमि**

निरन्तर ..2..

अपर कलेक्टर
जिला खरगोन(म.प्र.)

प्र0क0/11/अ–74/20–21

म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(3) के तहत दर्शित मद से कम की जाकर राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4(2) की कंडिका–05 के तहत क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु म0प्र0शासन, वन विभाग को हस्तांतरण की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है तथा उक्त प्रयोजनार्थ पूर्व में राजस्व प्र0क0 33/अ–74/17–18 में आदेश क0 855/वाचक–2/18, दिनांक 16.05.18 से जारी आवंटन आदेश निरस्त किया जाता है।

1– भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी जा रही है, उसी प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जाएगी। अन्य किसी प्रयोजन में उपयोग की जाने पर तथा कोई विधिक विवाद उत्पन्न होने की दशा में यह आबंटन आदेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा।

2– म0प्र0 शासन एवं वरिष्ठ कार्यालयों तथा इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का यथासमय पालन करना होगा।

3– जल संसाधन विभाग खरगोन यदि वन विभाग की चिन्हित स्थान की भूमि पर तालाब निर्माण आगामी पांच वर्षों में नहीं करते है तो प्रश्नाधीन भूमि वापस राजस्व विभाग की शासकीय भूमि घोषित कर राजस्व भू–अभिलेख में तदनुसार संशोधन किया जाएगा।

//कलेक्टर द्वारा अनुमोदित//

11/6/2020

अपर कलेक्टर,
जिला खरगोन (म0प्र0)
अपर कलेक्टर
जिला खरगोन (म.प्र.)

पृ0कमांक/ 895 /वाचक–2/2020, खरगोन, दिनांक 11 /06/2020

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आदेशानुसार कार्यवाही हेतु।

1– सचिव, म0प्र0शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल।
2– सचिव, म0प्र0शासन, जल संसाधन विभाग भोपाल।
3– वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल खरगोन।
4– अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल खरगोन।
5– उप वनमण्डलाधिकारी, भीकनगांव।
6– कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन।
7– प्रभारी अधिकारी, नजूल जांच शाखा, कलेक्टोरेट खरगोन।
8– अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) कसरावद।
9– सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश खरगोन।
10– तहसीलदार, भीकनगांव की ओर आदेश प्रति सह मूल प्रकरण आदेशानुसार भूमि का आधिपत्य वन विभाग के प्राधिकृत अधिकारी को सौंपकर पंचनामा /कब्जा रसीद मूल अभिलेख में सुरक्षित रख तदनुसार राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि कर संशोधित अभिलेख प्रकरण संलग्न किए जाने हेतु प्रेषित।

संलग्न :– मूल प्रकरण

11/6/2020

अपर कलेक्टर,
जिला खरगोन (म0प्र0)
अपर कलेक्टर
जिला खरगोन (म.प्र.)

...